



श्रीमत्रिपात्र न्यायालय श्रीमान् राजस्व पण्डिल महोदय गवालियर म.प.।
PBR | भिंगरानी | २८०८ | भृ.२१ | २०१३ | २५१५

1. पुष्टराज पिता श्री शौता नमलजी जाति महाजन
 2. सुरजबाई विधवा शौतनमलजी जाति महाजन
 निवासीगण ग्राम ढौढ़र तहसील जावरा जि. रत्नाम । :----- प्रार्थीगण
 विकल्प

विष्णु

मानवीय अधिकार के अधिकारों के पालन में प्रतिकूल वास्तविक स्थिति के बाहरी ता
की नियमावधि के विवर हैं जो आप चर्चा किए बाबत हैं ॥

आदित्य दिवारी 13 / 3 / 2018 के प्राप्ति में बताया दिया गया --

सुन यात्राम के वारीतान के नाम :-

III- राजनीतिकार्यकालीन एवं सैन्यसेवकों का अधिकारी तथा नायकों आदि के बारे में विवरण।

121- नामांतर प्राप्ति वा यात्रामनी वार्ता ग्रन्थी, अस्य 36 नाम
अन्याः स्त्रीः-

१३१- याग्निकार्ह पिता तर्कं मातुरात्मी वारीं गावहीं आयु अंत लाल
धन्द्या नेत्रीं तर्की विदातीगमा द्वारा द्वितीय लक्षीज वावहा
लिलारत्नाम् ॥४५॥

ଟିମ୍‌ପାର୍ଡ 23 / 3 / 2018

ગુરૂનાનિધિ અને અન્ય ગુરૂઓ

C. H. Muller 2852

तथा किय पत्र के आधार पर क्रेतागण को कहजा भी करा दिया था तथा मौके पर अनीताबाई पति बालू निवासी ग्राम माननेहोडा व दुग्धिबाई पति सुरेश जाति नाई व ज्योतीबाला पति हेमन्त गोलंकी = - - - - -

4X(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2514

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.3.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> <p>~~~~~</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	